सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) (मुख्य) परीक्षा–2020 के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.)_(मुख्य) परीक्षा–2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं । वे आवेदन–पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें:–

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या–ए–1/ई–1/2020 द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित कराया गया था ।
2. विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 21.05.2020 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे ।
3. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था ।
4. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं (स्नातक/परास्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
5. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्र में जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
6. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/= कुल रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– = कुल रु0 105/– निर्धारित है । क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शुल्क अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– ही जमा करेंगे ।
7. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे । अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी एक विषय का चयन करना है । वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न–पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्न–पत्र अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे हैं । वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु अधिकतम अंक 200 है तथा अनिवार्य विषय के प्रश्न–पत्रों हेतु अधिकतम अंक उनके सम्मुख अंकित हैं:–

(अ) अनिवार्य विषय

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य हिन्दी	150
2–निबन्ध	150
3–सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न पत्र)	200
4–सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र)	200
5– सामान्य अध्ययन (तृतीय प्रश्न पत्र)	200
6–सामान्य अध्ययन (चतुर्थ प्रश्न पत्र)	200

(ब) वैकल्पिक विषय

विषय	कोड सं.	विषय	कोड सं.
कृषि	01	प्राणि विज्ञान	02
रसायन शास्त्र	04	भौतिक विज्ञान	05
गणित	06	भूगोल	08
अर्थशास्त्र	09	समाज शास्त्र	11
दर्शन शास्त्र	12	भू विज्ञान	13
मनोविज्ञान	14	वनस्पति विज्ञान	15

विषय	कोड सं.	विषय	कोड सं.
विधि	16	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	17
सांख्यिकी	18	प्रबन्ध	20
राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	21	इतिहास	22
नृ विज्ञान	24	सिविल अभियांत्रिकी	25
यांत्रिक अभियांत्रिकी	26	विद्युत अभियांत्रिकी	27
अंग्रेजी साहित्य	29	उर्दू साहित्य	30
हिन्दी साहित्य	32	संस्कृत साहित्य	34
वाणिज्य एवं लेखांकन	35	लोक प्रशासन	36
चिकित्सा विज्ञान	38		

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वैकल्पिक विषयों के नाम एवं कोड परम्परागत आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर सही ढंग से अंकित करें । बाद में इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

8. **समूह–1** (Executive) में सम्मिलित–

डिप्टी कलेक्टर, सहायक सम्भागीय अधिकारी, अधीक्षक कारागार, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकरी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, यात्री/मालकर अधिकारी, नायब तहसीलदार, पद हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक/स्नातकोत्तर है तथा इसकी अधिमानी अर्हता निम्नलिखित है:–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

समूह–1 (Executive) में सम्मिलित विशिष्ट अर्हता वाले पद–

1. सहायक श्रमायुक्त	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष अन्य अर्हता तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
2. उपनिबंधक	विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी	समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी– 1–ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एंव बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। 2– प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम् 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। 3– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
4. सांख्यिकीय अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । अधिमानी– 1–सरकारी आंकड़ों एवं उसके विश्लेषण में 05 वर्ष का अनुभव 2–भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/कृषि सांख्यिकी में पी0एच0डी0 में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 3–संगणक प्रोग्रामिंग और पी0सी0ए0टी0/एक्स0टी0 के संचालन का ज्ञान।

समूह-2 (SR. LECTURER,DIET) में सम्मिलित-

वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पद हेतु अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक।

अधिमानी-

1-एम.ए.ड./शिक्षा में पी.एच.डी./ शिक्षा में एम.फिल.

या

2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो।

या

3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

समूह-3 (D. B.S.A./D.I.O.S./DISTT. ADMN. OFFICER) में सम्मिलित-

(अ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /सह जिला विद्यालय निरीक्षक/ उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद-

स्नातकोत्तर उपाधि।

अधिमानी-(1) शिक्षा विभाग, उ0प्र0 का एल.टी.डिप्लोमा या बी.टी. या बी.एड. या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि

या

2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्श की अवधि की सेवा की हो ।

या

3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ब) जिला प्रशासनिक अधिकारी- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानी-

भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी संस्था से लोक प्रशासन में डिप्लोमा या उपाधि अन्य बातों के समान होने पर एसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो।

2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

समूह-4 (LABOUR ENFORCEMENT OFFICER) में सम्मिलित-

श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य अर्हता अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम संबंध/श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/समाज शास्त्र/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबन्ध/कार्मिक प्रबन्ध में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि ।

समूह-5 (CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER) में सम्मिलित-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानी-

1-ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।

2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो।

3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

9. आवेदन-पत्र के साथ अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी वांछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत करें ।
10. व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंक का होगा।

11. मुख्य परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ तथा गाजियाबाद नगरों में आयोजित होगी । अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र / प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है ।

12. अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से संबंधित उपाधि, प्रमाण पत्रों, अंक–पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति एवं शुल्क के निमित्त ई–चालान–एस.बी.आई. / पी. एन.बी. से ई–चालान जमा करने के प्रिंट आउट की प्रति के साथ 27.5 X 11.5 से.मी. साइज़ के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें । नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की स्वप्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फॉर्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है ।

13. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न–पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग–अलग प्रश्नों के उत्तर अलग–अलग लिपि में। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे ।

14. अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक–ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

––